न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस
राजस्व विविध प्रकरण :GCMS No 2022/88
दायरा तिथि : 07.03.2022
आदेश तिथि : 14-07-22

प्रार्थी :–
प्रभाराम पुत्र उदाराम जाति बावरी
निवासी प्रतापगढ, सादडी तहसील देसूरी जिला पाली (राज0)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. प्रकाशकुमार पुत्र शंकरलाल जाति सरगरा
   निवासी मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक : 14-07-22

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा खातेदारी में धारित की जा रही भूमि ग्राम भीटवाडा पटवार हल्का, भीटवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 350/3 रकबा 0.8300 हैक्टर एवं खसरा नंबर 350/5 रकबा 0.83 हैक्टर किस्म जाव दोयम की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से निजी खातेदार प्रकाश कुमार पुत्र शंकरलाल जाति सरगरा निवासी मुण्डारा की खातेदारी भूमि भीटवाडा के खसरा नंबर 353/1 रकबा 1.57 हैक्टर किस्म जाव दोयम एवं राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम भीटवाडा के खसरा नंबर 353 रकबा 5.5400 हैक्टर किस्म जाव दोयम मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शित ट्रैक से 15 फीट चौडा नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथा साथ ही हितबद्ध अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, मौखमपुरा ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/1640 दिनांक 06.06.2022 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की:–

1.यह हैं कि ग्राम भीटवाडा के खसरा नंबर 350/3 रकबा 0.83 हैक्टर व खसरा नंबर 350/5 रकबा 0.
83 हैक्टर किस्म जाव दोयम की खातेदारी भूमि प्रार्थी श्री प्रभाराम पुत्र उदाराम जाति बावरी निवासी
प्रतापगढ तहसील देसूरी जिला पाली के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज हैं। खातेदार की धारितभूमि में
आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं हैं।

2. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार हैं:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	353/1	1.57 हैक्टर	जा.दो..	92X4.6=423.2 वर्गमीटर	प्रकाश कुमार पुत्र शंकरलाल सरगरा
2	353	5.54 हैक्टर	जा.दो.	172X4.6=791.2 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि

3. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम भीटवाडा की डी.एल.सी. दर 149121/–रूपये प्रति हैक्टर है।
4. यह हैं कि प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/ वृक्ष नहीं हैं एवं न ही अन्य कोई भी क्षति होगी।

प्रकरण में वर्णित अप्रार्थी प्रकाशकुमार पुत्र शकरलाल जाति सरगरा को नोटिस जारी किये जाने पर दिनांक 30.03.2022 को प्रकाशकुमार ने स्वयं व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपनी खातेदारी खातेदारी भूमि से आवेदक को रास्ता उपलब्ध कराये जाने बाबत् सहमति प्रकट की गई। प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री संतोष कुमार शर्मा ने तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदक को रास्ता स्वीकृत कराये जाने की दलील दी।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर हैं कि तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आवेदक को अपनी खातेदारी भूमि तक पहुँच के लिये आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

पेज लगातार....02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण GCMS No 2022/88
अनवान प्रमाराम बनाम प्रकाश कुमार वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

जिससे तहसीलदार, बाली द्वारा आवेदित रूट से प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आवेदक को रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्याय संगत है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमॉकः प. 3(52) राज-6/ 12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण मे ग्राम भीटवाडा पटवार हल्का, भीटवाडा तहसील बाली में प्रार्थी द्वारा धारित भूमि खसरा नंबर 350/3 रकबा 0.8300 हैक्टर एवं खसरा नंबर 350/5 रकबा 0.83 हैक्टर किस्म जाव दोयम की भूमि मे आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी निजी खातेदार प्रकाश कुमार पुत्र शंकरलाल जाति सरगरा निवासी मुण्डारा की खातेदारी भूमि भीटवाडा के खसरा नंबर 353/1 रकबा 1.57 हैक्टर किस्म जाव दोयम मेंसे **423.2 वर्गमीटर** एवं **राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम भीटवाडा के** खसरा नंबर 353 रकबा 5.5400 हैक्टर किस्म जाव दोयम मेंसे **791.2 वर्गमीटर** तहसीलदार, बाली एवं निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार नया मार्ग रास्ता नियम के नियम 10 (1)(ख) के अन्तर्गत निजी खातेदार एवं राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता करावे। प्रतिकर राशि निम्नानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल. सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 149121/- प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
353/1	1.57	92X4.6=423.2वर्गमीटर	14.92	6314X2=12628	प्रकाश कुमार पुत्र शंकरलाल सरगरा
353	5.54	172X4.6=791.2वर्गमीटर	14.92	11805X2=23610	राजकीय सिवाय चक

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना प्रभावित नही होने से उक्तानुसार **12628/- (अक्षरे बारह हजार छः सौ अट्ठाईस रूपये मात्र)** आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थी को अदा की जायेगी। एवं **23610/-(अक्षरे तेबीस हजार छः सौ दस रूपये मात्र)** सिवायचक की राजकोष में जमा कराई जावेगी। अप्रार्थी द्वारा राशि नहीं लिये जाने की दशा में अप्रार्थी को देय प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा कराई जावेगी। तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री [illegible])
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

दिनांक 14-07-22

कमॉक/कोर्ट(रास्ता)/2022/3040-44
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ/ सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा
3. पटवारी हल्का, भीटवाडा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील कार्यालय ,बाली
5. आवेदक प्रमाराम पुत्र उदाराम जाति बावरी निवासी प्रतापगढ सादडी तहसील देसूरी जिला पाली को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner